रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07012023-241764
SG-DL-E-07012023-241764

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 435
No. 12]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944	[N. C. T. D. No. 435

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

लोक निर्माण विभाग सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 6 जनवरी, 2023

फा. सं. 10 (विविध)/एएचसी/लो0नि0वि0/2022/238.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 फरवरी, 1977 की अधिसूचना सं0 यू–11030/5/76/यूटीएल के साथ पठित सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद के समकक्ष अधिकारी हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिकारी उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसर के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सौंपे गए कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

क्र0 सं०	अधिकारी (अधिकारियों) का पदनाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	सहायक आवासीय आयुक्त (ए०एच०सी०), लो०नि०वि०	संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार के समस्त सरकारी आवासीय

		क्वार्टर/आवास/अधिकारियों के बंगले
2.	समस्त कार्यकारी अभियन्ता (सिविल), लो०नि०वि०, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	उनके संबंधित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले लो०नि०वि० से संबंधित क्षेत्र जिसमें लो०नि०वि० सड़क/ सड़क के किनारे/ लो०नि०वि० भूमि/फुटपाथ/ केन्द्रीय सीमा/ सरकारी कार्यालय भवन/ कार्यालय परिसर तथा सरकारी आवासीय कॉलोनियों इत्यादि के भीतर समस्त खुले भू–भाग सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आशीष कुमार, उप सचिव (लो.नि.वि.)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th January, 2023

No. F10 (Misc)/AHC/PWD/2022/238.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971), read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.U-11030/5/76-UTL dated 24th February, 1977, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of the Government to be Estate Officer for the purpose of the said Act and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate officer by or under the said Act, within the limits of his/her jurisdiction in respect of the Public Premises specified in Column (3) of the said Table.

Sl.No.	Designation of the Officer (s)	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Assistant Housing Commissioner (AHC), PWD	All Govt. Residential Quarters/Accommodations/Officers Bunglows of the PWD, Delhi Government, all over NCT of Delhi.
2.	All Executive Engineers (Civil) of PWD, GNCTD	Area belonging to the PWD falling under their respective territorial jurisdiction, including PWD Roads/Roadsides/PWD land/Footpaths/Central Verge/ Govt Office buildings/ Office premises and all the open spaces inside Govt. Residential colonies etc.

By Order and in the Name the Lt. Governor
of National Captial Territory of Delhi,

ASHISH KUMAR, Dy. Secy. (PWD)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.07 16:56:10 +05'30'